भारतीय भाषाएँ और राष्ट्रीय एकता

सुनीता रावसाहेब हुन्नरगी

के.एल.ई. संस्था के जी.आई. बागेवाडी, कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय, निपाणी.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18331011

ABSTRACT:

भारत विश्व का एक अद्वितीय देश है, जहां विविधता केवल संस्कृति और परंपराओं में ही नहीं, बल्कि भाषाओं में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जो भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक हैं। यह भाषाई विविधता भारत की पहचान है और राष्ट्रीय एकता की मजबूत आधारशिला भी है, जो अपनी अलग-अलग पहचान के बावजूद सबको एकता के सूत्र में पिरोती है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती हैं। हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में और अन्य भारतीय भाषाएं साहित्य-कला के माध्यम से एकता को मजबूत करती हैं, जहां "विविधता में एकता" राष्ट्र की पहचान है। यह बात जरा भी गलत नहीं है, क्योंकि अपने देश की एकता जितनी प्रकट है, उसकी विविधताएं भी उतनी ही प्रत्यक्ष हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त है, लेकिन इसके साथ-साथ अन्य भाषाएं जैसे बंगाली, तमिल, तेलुगू, मराठी, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, असमिया, उड़िया, पंजाबी जैसी भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे अपने-अपने क्षेत्र की आत्मा हैं। जब हम इन भाषाओं का सम्मान करते हैं, तो हम वहां के लोगों की भावनाओं और पहचान का भी सम्मान करते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत की भाषाएं, संस्कृति तथा राष्ट्रीय एकता का विवेचन किया गया है।

KEYWORDS:

भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीय एकता.

भाषा मानव जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति, सभ्यता और समाज की पहचान भी है। बिना भाषा के सामाजिक जीवन की कल्पना करना कठिन है। दुनिया में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता होती है। भाषा किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास को संजोए रखती है। जब कोई भाषा लुप्त होती है, तो उसके साथ उस समाज की सांस्कृतिक धरोहर भी समाप्त होने लगती है। इसलिए भाषाओं का संरक्षण आवश्यक है। "भाषा और संस्कृति का स्वरूप स्पष्ट हो जाने से यह समझने में देर नहीं लगती कि दोनों परस्पर संबद्ध हैं। दोनों ही मानव अभिव्यक्ति के दो रूप हैं। इसलिए दोनों को सर्वथा स्वतंत्र मानकर न तो देखा जा सकता है, न ही समझा जा सकता है। संस्कृति को समझे बिना भाषा का अध्ययन एकांगी तथा अधूरा होता है। सांस्कृतिक परिवेश का परिचय न होने से बहुधा अर्थ का अनर्थ होने की आशंका रहती है। भाषा न केवल संस्कृति का अंग है, अपितु वह उसकी कुंजी भी है।"[1]

भारतीय संस्कृति के विषय पर डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि, "कोई विदेशी, जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं, बल्कि कई देशों का एक समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में, जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है।"[2] अर्थात भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है। हिमालय की सर्दी, जैसलमेर की तप्तभूमि, कन्याकुमारी का सुखद मौसम। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो यहां न मिलती हो; मतलब हर प्रकार का अनाज, हर तरह के फल, हर तरह के वृक्ष, हर तरह के प्राणी और भूगर्भ में बसे हुए हर तरह के खनिज पदार्थ यहीं प्राप्त होते हैं। साथ में अनेक भाषाएं और अनेक बोलियां यहां पाई जाती हैं। इसलिए अगर कोई विदेशी यहां पर संचार करे तो वह इसे कई देशों का एक समूह कहता है।

भारत देश के तीन भाग प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहले तो भारत का उत्तरी भाग है, जो लगभग हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। उसके बाद विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक का वह भाग है, जिसे हम दक्खिनी प्लेटो कहते हैं। प्लेटो के दक्षिण कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक का जो भाग

है, वह प्रायद्वीप जैसा है। प्रकृति ने भारत के जो यह तीन खंड किए हैं, वे ही खंड भारतवर्ष के इतिहास के भी तीन क्रीड़ास्थल रहे हैं। भारत देश अनेकता में एक है। अगर हमें इस सिद्धांत को देखना हो कि आबोहवा का असर इंसान के रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य-मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि यहां एक कहावत मशहूर है:

"कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी।"[3]

अर्थात भाषा में भी देश-काल की भांति परिवर्तन होता रहता है, वह कभी स्थिर नहीं रहती। उसमें भी विकास-विस्तार होता रहता है। इसी प्रकार बोलियों का भी विकास होता है और यह प्रक्रिया सार्वदेशिक है। भारत देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले तथा विभिन्न बोलियों की गिनती आसान नहीं है। विभिन्नताओं को देखकर अपरिचित आदमी घबराकर कहता है कि, "यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है; यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है।" तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को, जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है, जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है।[4]

भारत एक विशाल देश है। यहां भिन्न-भिन्न धर्म हैं और भिन्न-भिन्न जातियां हैं। क्योंकि सभी धर्मों का उद्देश्य एक है, मार्ग एक है, मंजिल एक है, तत्व एक है; इसीलिए अनेकता में एकता है। भारत में अनेक नदियां हैं। सभी नदियों का उद्गम अलग है, उनकी धाराएं अलग हैं, मगर अंत में एक ही स्थान पर मिल जाती हैं, अर्थात संगम होता है। इसी तरह भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति नैतिकता व आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। क्योंकि भारत एक प्रजातंत्र देश है, यहां व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता है, ताकि वह अपने पूरे विकास के साथ सामूहिक और सामाजिक एकता कायम रख सके। इसलिए भारतीय संस्कृति ने भिन्न-भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदतापूर्वक अपने-अपने रास्ते में बहने दिया है। भारत ने विभिन्न धर्मों और संप्रदायों को रहने व विकसित होने का मौका दिया है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने भिन्न-भिन्न जाति, धर्म और भाषाओं को पनपने व विकसित होने का अवसर दिया है।

भारत में भाषाओं की विविधता प्राचीन काल से ही है, जो इसकी विविध संस्कृतियों, सभ्यताओं और धर्मों के बीच एक अटूट कड़ी है। भाषा का विकास प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। भाषा न केवल विभिन्न कालक्रमों में अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में, बल्कि समाज को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में भी कार्य करती है। वैदिक काल में ही संस्कृत का उदय हुआ। प्राचीन भारत में इसे बौद्धिक, धार्मिक और दार्शनिक विषयों की प्रमुख भाषा माना गया। सबसे पुरानी भाषाओं में संस्कृत एक है। इसने भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाया; जैसे कि हिंदी, बंगाली, मराठी जैसी भाषाओं के साहित्यिक एवं व्याकरणिक विकासक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दक्षिण भारत में, जहां उत्तरी और मध्य दिशाओं में संस्कृत का प्रभाव अधिक न था, वहां तमिल भाषा का प्रभाव अधिक था। तमिल सबसे पुरानी और जीवित भाषा रही है। अन्य भाषाएं जैसे कि कन्नड़, तेलुगू और मलयालम भाषाओं का विकास हुआ। इन्हीं भाषाओं के कारण द्रविड़ का विकास हुआ। मध्यकाल में क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला था, जैसे कि हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी जैसी भाषाओं का विकास हुआ। इन भाषाओं ने कहानी साहित्य और भक्ति साहित्य परंपरा की पकड़ को मजबूत किया। सूफी तथा भक्ति साहित्य ने इन स्थानीय भाषाओं का उपयोग करके समाज तथा लोगों के दिलों में जगह बनाई, जिससे भाषा समृद्धि के पथ पर चलती गई।

भाषा की स्थिति को देखकर भीष्म साहनी जी लिखते हैं, "हमारा देश बहुजातीय और बहुभाषी देश है। सभी लोग अपनी-अपनी जबान से प्यार करते हैं, और सभी अपनी-अपनी जबान से जुड़े हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी मातृभाषा सबसे सुंदर, सबसे मीठी भाषा होती है। उसमें उसकी मां की आवाज बोलती है, सैकड़ों-हजारों वर्षों की संस्कृति बोलती है, उसमें वह अपने दिल की धड़कनें सुनता है। इसीलिए जबान का मसला नाजुक मसला है। इसे दूसरे का दिल दुखाकर, अपनी भाषा को ऊंचा और दूसरे की भाषा को छोटा कह कर नहीं सुलझाया जा सकता।"[5] देश की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में छिपे सुंदरता व आनंद का स्वाद देश के अन्य प्रदेश के लोगों को भी प्राप्त होना है, तो प्रत्येक प्रादेशिक भाषा को देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी भाषा में भाषांतरित करना चाहिए। तभी भारतीय संस्कृति व सभ्यता की पहचान प्रत्येक प्रदेश के नागरिक को होगी।

भारत में औपनिवेशिक काल में भाषाई परिदृश्य को एक नया

मोड़ मिला। अंग्रेजी भाषा का विकास बढ़ता गया। प्रशासन और शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी को संस्थागत रूप दिया गया, जिससे कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को हाशिए पर जाना पड़ा। भारत की विभिन्न भाषाओं के बीच अंग्रेजी भाषा ने समुदायों तथा संचार के एक एकीकृत माध्यम के रूप में अपना स्थान निर्माण किया। वर्तमान समय में शिक्षा, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी में अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता भारत की बहुभाषाओं में एक नई पहचान, एक नई परत जोड़ती है।

इस प्रकार भारत की भाषाई विविधता प्राचीन संस्कृति से लेकर आधुनिक अंग्रेजी तक समय के साथ विभिन्न ऐतिहासिक प्रभावों का परिणाम है। भाषा की समस्या को लेकर भीष्म साहनी जी कहते हैं, "मैं भाषाविज्ञानी नहीं हूं। भाषाएं कैसे बनती और विकास पाती हैं, कैसे बदलती हैं, इस बारे में बहुत कम जानता हूं। इसलिए किसी अधिकार के साथ भाषा के सवाल पर नहीं बोल सकता। मेरी अपनी स्थिति भी अनूठी ही है। मेरी मातृभाषा पंजाबी है, मेरी शिक्षा उर्दू भाषा में हुई है, लिखता मैं हिंदी भाषा में हूं और पढ़ाता मैं अंग्रेजी हूं। आप कहेंगे, ऐसा व्यक्ति न घर का न घाट का, जो चार जबानों से वास्ता रखता हो, वह एक जबान का भी नहीं हो पाएगा।"[6]

अक्सर यह माना जाता है कि भाषाई विविधता राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकती है, लेकिन भारतीय अनुभव इसके ठीक विपरीत है। यहाँ हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्य, इतिहास और जीवन-दृष्टि लेकर आती है। जब हम विभिन्न भाषाओं को सम्मान देते हैं, तो आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है। यही भावना राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, उर्दू जैसी भाषाएँ अपने-अपने क्षेत्रों में सांस्कृतिक एकता को मजबूत करती हैं। जब एक देश अपने सभी भाषाई समुदायों को समान सम्मान देता है, तब नागरिकों में अपनापन और राष्ट्र के प्रति निष्ठा बढ़ती है।

भारत भाषाओं का देश है। यहां भाषाई विविधता केवल संप्रेषण का साधन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक समरसता का आधार है। संविधान के अनुसार भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जबकि सैकड़ों बोलियां देश के अलग-अलग क्षेत्र में प्रचलित हैं। इतनी विविधता के बावजूद भारत एक राष्ट्र के रूप में एकजुट है- और इसमें भाषाओं की अहम भूमिका है।

आयंगर ने अष्टम अनुसूची में 14 भाषाएं दी थीं। बाद में एक

संशोधन में 'सिंधी' भाषा जोड़ी गई। फिर एक संशोधन में 'मणिपुरी', 'नेपाली' तथा 'कोंकणी' भाषाएं जोड़ी गईं। फिर चार भाषाएं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली जोड़ी गईं। अब संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कुल 22 हैं, जो इस प्रकार हैं: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगू, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 344 भाग (1) और अनुच्छेद 351 में परिशिष्ट में अष्टम अनुसूची का संकेत दिया गया है।

निष्कर्ष:

अंततः, भारतीय भाषाएं मिलकर एक ऐसा सांस्कृतिक वृक्ष बनाती हैं जिसकी जड़े गहरी और शाखाएं दूर-दूर तक फैली हैं। इन भाषाओं के बीच समन्वय और हिंदी जैसे संपर्क माध्यम के सहयोग से ही भारत की राष्ट्रीय एकता सशक्त, स्थायी और जीवंत बनी रह सकती है। भारतीय भाषाएँ राष्ट्रीय एकता में बाधा नहीं, बल्कि उसकी नींव हैं। विविध भाषाओं का सम्मान और संरक्षण ही भारत की वास्तविक शक्ति है। "विविधता में एकता" केवल नारा नहीं, बल्कि भारतीय समाज का जीवंत सत्य है। जब हम सभी भाषाओं को साथ लेकर चलते हैं, तभी एक सशक्त, समरस और एकजुट भारत का निर्माण संभव होता है। भारत की भाषाई विविधता उसकी सबसे बड़ी सांस्कृतिक शक्ति है। यहाँ की विभिन्न भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि इतिहास, परंपरा, साहित्य और जीवन-दृष्टि की संवाहक हैं। भारतीय संविधान ने सभी भाषाओं को सम्मान देकर यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय एकता का आधार समानता नहीं, बल्कि बहुलता में एकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय भाषाएँ राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती नहीं, बल्कि उसकी आधारशिला हैं। विविध भाषाओं का संरक्षण, संवर्धन और पारस्परिक सम्मान ही भारत की अखंडता और सांस्कृतिक समृद्धि को बनाए रखने का मार्ग है।

संदर्भ ग्रंथ:

1. हिंदी का भविष्य - नर्मदेश्वर चतुर्वेदी - पृ. सं. 177
2. भारतीय संस्कृति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद - पृ. सं. 16
3. भारतीय संस्कृति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद - पृ. सं. 17
4. भारतीय संस्कृति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद - पृ. सं. 17
5. भारतीय संस्कृति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद - पृ. सं. 17
6. राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या - भीष्म साहनी - पृ. सं. 8
7. हिंदी भाषा के विविध रूप - अष्टम अनुसूची

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.